उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 155 / 2023--24 दिनांक : 26.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती मोहिनी देवी पत्नी श्री विक्रम सिंह, परिवादी
कुर्मांचल कालोनी, खटीमा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती मोहिनी देवी पत्नी श्री विक्रम सिंह की ओर से श्रीमती हेमलता खरायत का एक शिकायती पत्र दिनांक 13.09.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या--KH2K733800926 (02 किलोवाट घरेलू) जो उनके परिसर पर स्थापित है जिसमें एक हिस्सा किराये पर दिया हुआ है दूसरा हिस्सा उनके निजी इस्तेमाल के लिए उपयोग किया जाता है। माह जून 2022 तक उक्त पर परिसर में किरायेदार रहते थे, इसके उपरांत किरायेदार न होने पर माह 12 / 2022 तक उनके विद्युत बिल सही आते रहे, जिनका भुगतान उनके द्वारा किया जाता रहा। माह अप्रैल 2023 में मीटर रीडर से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त परिसर पर लगा विद्युत मीटर खराब है, इसकी शिकायत कर मीटर बदलवा लें। इसके उपरांत उनके द्वारा शिकायत दर्ज करायी गयी तो विभाग द्वारा जून 2023 में उनका विद्युत मीटर बदल दिया गया। इसके उपरांत माह जुलाई 2023 में उन्हें विभाग द्वारा बिल प्रेषित किया गया जो रू0 11000.00 का था और अगस्त 2023 में रू0 13926.00 का बिल प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में फिर से मीटर रीडर से सम्पर्क किया गया तो उसने बताया कि ऑफिस में जाकर जेई साहब व एसडीओ साहब से सम्पर्क करें। इसके उपरांत विभाग में सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उसकी जानकारी के अनुसार खराब विद्युत मीटर के समय बिल की

क्रमशः 2.....

गणना यू0ई0आर0सी0 सप्लाई कोड 2020 के बिन्दु संख्या 5.1.7 के अनुसार पिछले 03 बिलिंग साइकिल के औसत के आधार पर की जानी चाहिए थी, किन्तु बिल की गणना किस आधार पर की गयी है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल (रू0 13480.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 13.09.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.09.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.09.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.09.2023 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री अम्बिका यादव, उपखण्ड अधिकारी के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या—812 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी का विद्युत मापक खराब होने के उपरान्त विद्युत प्रयोगशाला सितारगंज द्वारा दिनांक 03.06.2023 को उनके परिसर पर नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है। परिवादिनी के विद्युत बीजक को उनके परिसर पर स्थापिल विद्युत मापक के पाठयांक के आधार पर मैनुअली संशोधित कर रू0 6012.29 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया हैं।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र कुकरेती) न्यायिक सदस्य	(नवीन चन्द्र तिवारी) तकनीकी सदस्य	(सुभाष चन्द्र भट्ट) उपभोक्ता सदस्य
	26/09/2023	26/9/2023